

16/01/2024

पत्रावली पेश हुई... अभिभावक संघ द्वारा
...आधिकारिक कार्य संपन्न करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसर दिनांक
23/01/24 को पेश की जावे।
Bo. [Signature]

23/01/2024

पत्रावली पेश हुई... अभिभावक संघ द्वारा
...आधिकारिक कार्य संपन्न करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसर दिनांक
08/02/24 को पेश की जावे।
Bo. [Signature]

08/02/2024

पत्रावली पेश हुई। अग्रिम पक्षधारण उपस्थित परिणाम
समन्त तहसीलदार रावतनाथ ने न्यायालय में उपस्थित
है। पत्रावली में No-objection प्रस्तुत करके पत्परगढ़ी
हेतु शामिल व्यक्त की। वकील शर्मा ने आज ही बहल
करने का निवेदन कर शफा पर बहल की। अग्रिम
पक्ष को सुना गया। वकील शर्मा द्वारा शफा की
बहल के दौरान दी गई दलीली के हद संतुष्ट है।
वकील शर्मा द्वारा शर्मा की स्वतंत्र शक्ति समर्थन
पत्परगढ़ी करने का निवेदन किया जो कि उचित
मन्य होता है। अतः शर्मा का शफा धारा-128
बहल पत्परगढ़ी का रबीकार योग्य पाया जाता
है। शर्मा का शफा धारा-128 का रबीकार योग्य
पाए जाने से रबीकार कर शफा पत्परगढ़ी
के आदेश दिए जाते हैं। शफा का निर्णय प्रपक्ष
के विरवाया जाकर संतुष्ट न्यायालय की दृष्टि
में सुनाया गया। पत्रावली फौजल-शुमार लिंगर
दरजिस्ट्र के इस की जाकर शामिल दस्ता
है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Noobje
ant